कर्मचारियों ने किसी प्रकार की भूल नहीं की है। उक्त समर्पण पत्र स्वीकार होने से प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 567 के दो टुकड़े खसरा नम्बर 567 उत्तरी तरफ व खसरा नम्बर 1534/567 दक्षिणी तरफ हुए। ना.स. 1825 की फोटो प्रति संलग्न है। खसरा नम्बर 1363/567 की भू नक्शा में तरमीम समर्पण पत्र व ना.स. 1825 की पुरत पर अंकित तरमीम अनुसार ही की गई है। भू नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 1363/567 के पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 1384/980 गै.मु. रास्ता है जिसकी तरमीम शुद्धि के लिये राजस्व प्रार्थना पत्र 76/2022 प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थीया द्वारा उक्त समर्पित खसरा नम्बर 1363/567 की तरमीम खसरा नम्बर 567 की दक्षिणी माठ के पास करवाने के लिये शुद्धि का आवेदन पेश किया गया है। खसरा नम्बर 1363/567 व 1384/860 के हितधारकों की सहमति से उक्त तरमीम शुद्ध की जानी प्रस्तावित है। जिसमें प्रार्थीया का खसरा नम्बर 567 एक ही चक में स्थित हो जायेगा व काश्त में सुविधा रहेगी। खसरा नम्बर 567 की तरमीम नीचें अंकित नक्शे अनुसार शुद्ध की जाती है तो खसरा नम्बर 1363/567 व 1384/980 के हित धारकों की सहमति है तथा सहमति स्वरुप रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये है। उक्त तरमीम शुद्धि में खसरा नम्बर 1363/567 0 1305/567 के रकबें में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा परन्तु खसरा नम्बर 567 व 1534/567 को मिलाकर एक खसरा नम्बर 567 रकबा 1.6592 हैक्टेयर किया जाना उचित रहेगा। मौजा छापड़ा के खसरा नम्बर 567 में गतस समर्पण से से खसरा नम्बर 567 के दो टुकेड़े हो गये जिससे काश्तकार भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हमारी राय में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो खसरा नम्बर 567 का रकाब एक हो जायेगा जिससे कास्तकार को कास्त करने में सेविधा रहेगी। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा गलत समर्पीत पत्र प्रस्तुत करने पर रेकर्ड संधारण में त्रृटि होना प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता हैं

–: : **आदेशः** : –

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत समर्पण पत्र स्वीकार होने पर ना.स. 1825 द्वारा प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 567 के दो टुकड़े खसरा नम्बर 567 उत्तरी तरफ व खसरा नम्बर 1534/567 दक्षिणी तरफ हुए। **अतः तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते है कि मौजा छापड़ा के वर्तमान खसरा नम्बर 567 व 1534/567 को मिलाकर एक खसरा नम्बर 567 किया जावे एवं खसरा नम्बर 1363/567 की तरमीम तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.12.2022 में दर्शित नजरी नक्शानुसार शुद्ध किया जावे।** तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2022/1610 दिनांक 23.12.2022 निर्णय का भाग रहेगा। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।

तहसीलदार डेह को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। आदेश आज दिनांक 14/02/25 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner